

सं. 1/5/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)-9809

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-एफ)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट नई दिल्ली -110003

दिनांक : 18.09.2024


कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939/2023 के अधीन सतत परिचर भत्ता(सीएए) में वृद्धि के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2017-पी&पीडबल्यू(एफ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा पे मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ते में हर बार 50% की बढ़ोत्तरी होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को देय सतत परिचर भत्ते की दरों को 25% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए(प्रतिलिपि संलग्न)।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) द्वारा 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिनांक 01.01.2024 से सतत परिचर भत्ते की राशि को मौजूदा 6750/- रुपये से 25% बढ़ाकर 8438/- रुपये प्रति माह किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(दिलीप कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि :

मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि।